

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 5 अगस्त, 2005

संख्या सी सी पी (एन सी आर)/के0एम0पी0/सी.ए.जी. (बी)/2005/1300:— पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाए गए अनुसार गांव बिलासपुर हदबस्त संख्या 146, जिला गुड़गांव के राजकीय उच्च विद्यालय के दो किलोमीटर की दूरी के भीतर के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

गांव बिलासपुर हदबस्त संख्या 146, जिला गुड़गांव के राजकीय उच्च विद्यालय के दो किलोमीटर दूरी तक के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची की ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 961/2002, दिनांक 10 जनवरी 2002 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर:— बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करके अर्थात् गांव बिलासपुर हदबस्त संख्या 146, की आयत संख्या 42 का उत्तर-पश्चिमी कोना, इसके बाद पूर्व की ओर गांव बिलासपुर हदबस्त संख्या 146, के आयत संख्या 42ए 41 तथा 40 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ख' अर्थात् गांव बिलासपुर हदबस्त संख्या 146, के आयत संख्या 40 का उत्तरी पूर्वी कोना।

पूर्व:— बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर चलकर गांव बिलासपुर हदबस्त संख्या 146, की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक अर्थात् गांव बिलासपुर हदबस्त संख्या 146 की आयत संख्या 60 का दक्षिणी-पश्चिमी कोना।

दक्षिण :— बिन्दु 'सी' से दक्षिण की ओर चलकर गांव पथरेड़ी, हदबस्त संख्या 143 की आयत संख्या 9 तथा 20 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ इसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 20 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक अर्थात् गांव पथरेड़ी, हदबस्त संख्या 143 की आयत संख्या 70 का दक्षिणी पश्चिमी कोना।

पश्चिम:— बिन्दु 'डी' से उत्तर की ओर चलकर गांव पथरेड़ी हदबस्त संख्या 143 की आयत संख्या 20 तथा 9 और गांव बिलासपुर हदबस्त संख्या 146 की आयत संख्या 59, की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ इसके बाद पूर्व की ओर गांव बिलासपुर हदबस्त संख्या 146 की आयत संख्या 59 की उत्तरी सीमा इसके बाद उत्तर की ओर गांव बिलासपुर हदबस्त संख्या 146 की आयत संख्या 42 की पश्चिमी सीमा के साथ बिन्दु 'ए' तक अर्थात् प्रारम्भिक बिन्दु।

शकुन्तला जाखू
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 5th August, 2005

No. CCP (NCR)/KMP/CAG/(B)/2005/1300. - In exercise of the power conferred by clause of sub-section (1) of section 4 the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Un-regulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area within a distance of two kilometers on the outer side of the boundary of Government High School, Village Bilaspur, Hadbast No. 146 District Gurgaon, as specified in the schedule given below and shown in the Plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the Said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundary of the controlled area within a distance of two Kilometers on the outer side of the boundary of Government High School , at Village Bilaspur, Hadbast No. 146, district Gurgaon to be read with Drawing No. DTP (G) 961/2002, dated the 18th January, 2002.

North: -Starting from point 'A' i.e. north-western corner of rectangle No. 42 of revenue estate of Village Bilaspur Hadbast No. 146 thence towards east along northern boundary of rectangle Nos. 42, 41 and 40 of Village Bilaspur, Hadbast No. 144 upto point 'B' i.e. north-eastern corner of rectangle No. 40 Village Bilaspur Hadbast No. 146.

East: - Moving from point 'B' towards South along the eastern boundary of Village Bilaspur, Hadbast No. 146 upto point 'C' i.e. South-Western corner of rectangle No. 60 of Village Bilaspur, Hadbast No. 146.

South: Moving from point 'C' towards south along the eastern boundary of rectangle Nos. 9, and 20 of Village Pathrari (Hadbast No. 143) and rectangle No. 59 of Village Bilaspur Khurd (Hadbast No. 146) thence towards east along the northern boundary of rectangle north along with the western boundary of rectangle No. 42 of Village Bilaspur, Hadbast No. 146 upto point 'D'.

West: Moving from point 'D' towards north along the western boundary of rectangles No. 20 and 9 of village Pathrari, Hahdbast No. 143 and rectangle No. 59 of Village Bilaspur Khurd, Hadbast No. 146, thence towards east along the northern boundary of rectangle 42 of Village Bilaspur, Hadbast No. 146 upto point 'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal Secretary to Government
Haryana, Town and Country Planning Department.